



ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਾਲਯ : 21, ਰਾਜੇਂਦ੍ਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲਲੀ-110008
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨਯ ਬੈਠਕ **Extraordinary General Meeting**

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 19 ਸਿਤੰਬਰ, 2014, ਪ੍ਰਾਤ: 10:00 ਬਜੇ
Friday, 19 September, 2014, 10:00 A.M.

ਸਥਾਨ :

ਭਿੰਡਿਆ ਭਨ੍ਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਸੈਨ੍ਟਰ
40-ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਮਾਰਗ, ਲੋਧੀ ਈਸਟੇਟ,
ਨਵੀਂ ਦਿਲਲੀ-110 003

Venue :

India International Centre
40-Max Mueller Marg,
Lodhi Estate,
New Delhi – 110003

ਜਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਧਯੇਯ ਹੈ / **Where Service is a way of life**

विषय सूची CONTENTS

क्रम सं. S.No.	विषय Subject	पृष्ठ सं. Page No.
1.	सूचना NOTICE	3 10
2.	टिप्पणियां NOTES	4 11
3.	व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT	5 12
4.	प्रॉक्सी फॉर्म PROXY FORM	9 15
5.	उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	16 16

प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

सूचना

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बँडक) विनियम 2008 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 - मैक्स मूलर मार्ग, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली-110003 में शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2014 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

मद संख्या 1

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प(पों) के रूप में विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद “योजना” कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बँडक) विनियम, 2008 (जिसे इसके बाद “विनियमन” कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में “अधिनियम” कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (भा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबंध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में ‘निदेशक मंडल’ कहा गया है), जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो/की जानी हो, प्रदान की जाती है कि निदेशक मण्डल द्वारा भारत सरकार के 200 करोड़ रुपए के स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पी.एन.सी.पी.एस.), 200 करोड़ रुपए के स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पी.सी.पी.एस.) तथा 160 करोड़ रुपए के नवोन्मेष स्थायी ऋण लिखत को रूपांतरित करने के लिए, अधिमान आधार पर, भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को इक्विटी के माध्यम से जिसका अंकित मूल्य रुपए 10/- प्रति शेयर है, को निर्धारित मूल्य रु. 59.14 प्रति इक्विटी शेयर पर (जिसमें रु. 49.14 का प्रीमियम सम्मिलित है), सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 के अनुसरण में 9,46,90,563 शेयर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और उनका आबंटन करें जिसकी कुल धनराशि 560.00 करोड़ रुपए (रुपए पांच सौ साठ करोड़ केवल) है।”

“संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद “योजना” कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बँडक) विनियम, 2008 (जिसे इसके बाद “विनियमन” कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में “अधिनियम” कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (भा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबंध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में ‘निदेशक मंडल’ कहा गया है), जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो / की जानी हो, प्रदान की जाती है कि निदेशक मण्डल द्वारा इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रुपए 10.00 प्रति शेयर है, सेबी आईसीडीआर विनियम 76 के अनुसार वित्तीय संस्थाओं, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इश्योरंस कॉर्पोरेशन तथा जनरल इश्योरंस कॉर्पोरेशन की सहायक कम्पनियों को 10.00 प्रति शेयर को रु 59.14 जारी मूल्य पर (जिसमें रुपए 49.14 का प्रीमियम सम्मिलित है) के 6,76,36,116 इक्विटी शेयर, अधिमान आधार पर. सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और उनका आबंटन करें। जिसकी कुल धन राशि रुपए 400 करोड़ (चार सौ करोड़ रुपए मात्र) तक है,”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि दिनांक 20.08.2014 है।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में जारी अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किया जाएगा तथा सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार अवरूद्धता अवधि की अपेक्षाओं के, अधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित, यदि घोषित हो) समान माने जाएंगे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामलें और विषय पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझें।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.08.2014

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां :

1. व्याख्यात्मक कथन

बैठक में कार्य व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्यात्मक जानकारी अनुबंध में दी गई है।

2. वोटिंग का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों का दस प्रतिशत से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएगा/पाएगी। उपर्युक्त के अध्यक्षीन ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ खड़ा करके केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा तथा मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकारी होगा तथा केन्द्रीय सरकार के अलावा उसके पास अधिकतम 10% के कुल मताधिकार होंगे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2008 (विनियम) के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर, दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसको वोटिंग के संबंध में उस शेयर का एकमात्र धारक माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने का पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने हेतु नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

यद्यपि, इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

विनियम संख्या 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखित का कोई प्रदाता ऐसी किसी बैठक में स्वयं वोट देने का अधिकारी नहीं होगा जिससे वह लिखित संबंध रखता है।

प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग, (शेयर कक्ष), 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् दिनांक 13.09.2014 को सायं 2.00 बजे अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाए।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति ऐसे निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हों, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण सामान्य बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और न ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो, उस बैठक

के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि, बैठक की तारीख से 4 दिन पहले अर्थात् दिनांक 13.09.2014 को सायं 2.00 बजे अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग, (शेयर विभाग), 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को प्राप्त हो जाए। विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश सत्यापन/ जाचों, जो भी आवश्यक समझा जाए, के आधार पर होगा तथा उन्हें वैध पहचान पत्र के प्रमाण अर्थात् वोटर पहचान पत्र/कर्मचारी पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि को साथ लेकर आएंगे।

5. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक-स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर यथास्थिति 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' लिखें।

6. जिन शेयरधारकों के नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिनांक 14.08.2014 (बृहस्पतिवार) अर्थात् निर्धारित की गई (कट ऑफ) तिथि को होंगे, वे ई-वोट (प्रक्रिया संलग्न)/बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने के पात्र होंगे। **कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों ने ई-वोट के माध्यम से अपने वोट डाले हैं, वे बैठक में वोट देने के पात्र नहीं होंगे परन्तु बैठक में उपस्थित हो सकते हैं।**

अन्य सूचना :

- कृपया शेयरधारक नोट करें कि बैठक में कोई उपहार / उपहार कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।
- सुरक्षा कारणों से ब्रीफकेस, खाद्य एवं अन्य संबंधित वस्तुएं बैठक कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। बैठक में आने वाले व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.08.2014

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

व्याख्यात्मक कथन एवं प्रकटन:

सेबी (आईसीडीआर) विनियमन की शर्तों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रकटन :

क) अधिमान निर्गम के उद्देश्य

वर्तमान में, भारत सरकार के पास रु. 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के 22,41,32,212 इक्विटी शेयर हैं जो कि बैंक के कुल इक्विटी शेयरों के 81.42% है। विभिन्न संस्थानों के पास शेयरधारिता की स्थिति निम्न प्रकार से है:

14.08.2014 की तिथि पर

कम्पनी / संस्थान का नाम	शेयरधारिता की संख्या	कुल प्रदत्त पूँजी का %
भारत सरकार	22,41,32,212	81.4185
भारतीय जीवन बीमा निगम	1,15,77,925	4.2058
जनरल एश्योरेंस कॉर्पोरेशन	25,000	0.0091
नैशनल एश्योरेंस कम्पनी	47,750	0.0173
न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी	39,728	0.0144
यूनाईटेड इंडिया एश्योरेंस कम्पनी	63,665	0.0231
ओरियंटल इश्योरेंस कम्पनी	11,833	0.0043
बाकी सभी	3,93,86,099	14.3075
कुल योग	27,52,84,212	100.0000

बैंक के पूंजीगत ढांचे को मजबूत बनाने तथा पूंजी पर्याप्तता को सुधारने के क्रम में, बैंक के संचालक मंडल ने, दिनांक 17.07.2014 के संकल्प संख्या 21196 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि :

- (i) (i) 200 करोड़ रूपए के स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पी.एन.सी.पी.एस.), 200 करोड़ रूपए के स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पी.सी.पी.एस.) तथा भारत सरकार के पास 160 करोड़ रूपए के नवोन्मेष स्थायी ऋण लिखत को रूपांतरित करके भारत सरकार को इक्विटी के माध्यम से अधिमान आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना;
- (ii) रु. 400 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों के अधिमान इश्यू को वित्तीय संस्थान(नों) भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल एश्योरेंस कार्पोरेशन तथा जनरल एश्योरेंस कार्पोरेशन की सहायक कंपनियों को जारी करना।

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य विनियमन अनुपालनों के अनुमोदन के आधार पर, सेबी (आईसीडीआर) विनियम की मदों के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले मूल्य पर, जुटाई गई पूंजी को बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुधारने तथा सामान्य व्यवसाय की आवश्यकताओं को निधि देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

ख) निर्गमन मूल्य का निर्धारण सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 76 के अनुरूप किया जाएगा। निर्गमन मूल्य को निर्धारित करने की संबद्ध तारीख 20.08.2014 है।

ग) अधिमान शेयरों को जारी करने से पहले तथा उसके बाद, बैंक का शेयरधारिता स्वरूप निम्नलिखित होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात्	
		शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या	धारिता का %
क	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	22,41,32,212	81.4185	31,88,22,775	72.8553
ख	गैर-प्रवर्तक धारिता-भारतीय जीवन बीमा निगम	5,11,52,000	4.2058	4,20,14,177	9.6008
ग	जनरल एश्योरेंस कार्पोरेशन तथा उसकी सहायक कम्पनियां	1,87,976	0.0683	3,73,87,840	8.5436
घ	बाकी सभी	3,93,86,099	14.3074	3,93,86,099	9.0003
	कुल	27,52,84,212	100.0000	43,76,10,891	100.0000

निर्गमन के पश्चात् भारत सरकार की धारिता 72.8553% हो जाएगी। तथा परिणामस्वरूप, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

घ) बैंक का प्रयास है कि पूंजी निर्गम प्रक्रिया को सेबी (आईसीडीआर) विनियम में दी गई निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जाए।

ङ) बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध हुए छः महीनों से अधिक हो गए हैं और तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76 (3) और 78 (5) के अंतर्गत प्रावधान तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 73 (1) (f) एवं (g) के अंतर्गत प्रकटन लागू नहीं हैं।

च) बैंक के सभी शेयरों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। भारत सरकार, वित्तीय संस्थानों भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल एश्योरेंस कार्पोरेशन तथा जनरल एश्योरेंस कार्पोरेशन की सहायक कम्पनियों को जारी तथा आर्बिट्रट सभी इक्विटी शेयर, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, अवरूद्ध (लॉक इन) रहेंगे।

छ) असाधारण सामान्य बैठक में सांविधिक केन्द्रीय लेखाकारों द्वारा जारी प्रमाणपत्र को बैठक में निरीक्षण के लिए पटल पर रखा जाएगा जो यह प्रमाणित करेगा कि निर्गम को इन विनियमों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद लाया जा रहा है।

ज) भारत सरकार, वित्तीय संस्थानों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल एश्योरेंस कार्पोरेशन तथा जनरल एश्योरेंस कार्पोरेशन की सहायक कम्पनियों के पास सभी इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में हैं और स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीबद्धता करार के अंतर्गत इक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों का अनुपालन कर रहा है जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

झ) भारत सरकार, वित्तीय संस्थानों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल एश्योरेंस कार्पोरेशन तथा जनरल एश्योरेंस कार्पोरेशन की सहायक कम्पनियों के पक्ष में जारी किए जा रहे इक्विटी शेयर सेबी (आईसीडीआर) विनियम/ अन्य सांविधिक अनुमोदन के अधीन होंगे, जैसा भी उस समय लागू हो, जिसमें कोई संशोधन भी सम्मिलित है।

ञ) कोई भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन व्यक्ति इक्विटी शेयरों में अभिदान नहीं देगा।

त) उपर्युक्त ढंग से जारी किए गए इक्विटी शेयर घोषणा के समय जो दिए गए संवैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुसरण में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ घोषित लाभांश, सहित सभी दृष्टियों से समान होंगे।

आपके निदेशक संकल्प (पों) को आपके अनुमोदन हेतु संस्तुति करते हैं।

बैंक के निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता से अथवा भारत सरकार के नामित के रूप में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक संकल्प (i) में रुचि रखने वाला माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.08.2014

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा लिस्टिंग समझौते के खंड 35 बी के अंतर्गत नए प्रावधान किए गए हैं जिनके द्वारा प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी या जिसके शेयरधारक एक हजार से कम नहीं हैं, से सामान्य बैठक में अपने सदस्यों के वोट के अधिकार के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग अपेक्षित है। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, की शर्तों के अनुसार बैंक असाधारण सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :

(क) यदि सदस्य ई-मेल प्राप्त करते हैं :

- (i) यदि आप डीमेट रूप में शेयरधारक हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन करते हैं और आपने पहले भी किसी अन्य कंपनी में EVSN पर वोटिंग की है तो आपका वर्तमान लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्रयोग होगा।
- (ii) ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-इन करें।
- (iii) अपना वोट डालने के लिए "shareholders" टैब पर क्लिक करें।
- (iv) अब ड्रॉप डाउन मीनू से "Punjab and Sind Bank" सहित अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिक्वेन्स नं. "EVSN" चुनें और "SUBMIT" पर क्लिक करें।
- (v) अब नीचे दिए गए विवरण को उचित बॉक्स में लिखें :

	डीमेट रूप में शेयरधारकों हेतु	भौतिक रूप में शेयरधारकों हेतु
यूजर आईडी	NSDL हेतु : 8 शब्दों का DP ID इसके बाद 8 अंकों को Client ID CDSL हेतु : 16 अंकों का beneficiary ID	कंपनी के पास रजिस्टर्ड फोलियो नं.
पैन*	ई-वोटिंग के लिए जब अपेक्षित हो तो आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन अंकित करें (यह डीमेट और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है)	
जन्म तिथि #	डीमेट खाते या कंपनी के डीमेट खाते के रिकार्ड के अनुसार या फोलियो में दिन/माह/वर्ष प्रारूप में अपनी जन्मतिथि अंकित करें।	
लाभांश बैंक विवरण #	डीमेट खाते या कंपनी के डीमेट खाते/फोलियो में दर्ज रिकार्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण अंकित करें।	

* ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी /डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में डिफाल्ट नं. : <ABCDE1234F> एन्टर करें।

कृपया लॉग-इन के लिए कोई भी ब्यौरा दें।

- vi) इन विवरणों को भरने के पश्चात्, "SUBMIT" पर क्लिक करें।
- vii) तब सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे EVSN सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँचेंगे। तथापि डीमेट शेयरधारक अब Password Creation मीनू में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अपने लॉग-इन पासवर्ड में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नया पासवर्ड कम से कम आठ अक्षर का होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा अक्षर (A-Z), एक छोटा अक्षर (a-z), एक अंक मूल्य (0-9) तथा एक विशिष्ट अक्षर (@, #, \$, %, &, *) निहित हो। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड डीमेट शेयरधारकों द्वारा किसी भी कंपनी, बता दें कि इस कंपनी में सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प हो, जिसके लिए वह वोटिंग का पात्र है, के प्रस्ताव हेतु वोटिंग के लिए प्रयोग किया जाए। आपको सलाह दी जाती है कि यह पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को न बताएं तथा इसे गुप्त रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड डीमेट शेयरधारकों द्वारा किसी भी कंपनी, बता दें कि इस कंपनी में सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प हो, जिसके लिए वह वोटिंग का पात्र है, के प्रस्ताव हेतु वोटिंग के लिए प्रयोग किया जाए।
- viii) संबंधित EVSN जिस पर आप वोट करना चाहते हैं, पर क्लिक करें।
- ix) वोटिंग पृष्ठ पर आप प्रस्ताव विवरण के समक्ष हाँ/नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हाँ (Yes) अथवा नहीं (No), विकल्प का चुनाव करें। हाँ (Yes)का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति तथा नहीं (No)का विकल्प, संकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- x) यदि आप सभी संकल्पों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

- xi) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात् SUBMIT पर क्लिक करें। वहाँ एक पुष्टि बॉक्स दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- xii) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- ii) यदि सदस्य असाधारण सामान्य बैठक के नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करते हैं (ऐसे सदस्य जिनकी ई-मेल आई-डी, कंपनी जमाकर्ता भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं है अथवा जो भौतिक प्रति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं) :
- वोट करने के लिए कृपया क्रम सं. (ii) से क्रम सं. (xii) तक सभी चरणों का पालन करें।
- ख) संस्थागत शेयरधारक (जैसे कि अकेले व्यक्ति के अतिरिक्त, हिंदू संयुक्त परिवार, अनिवासी भारतीय आदि के अलावा) के लिए आवश्यक है कि वे <https://www.evotingindia.co.in> लॉग-ऑन करें तथा अपने को पंजीकृत कराएं, जिसको वो वोट करना चाहते हैं उसका खाता लिंक करें तथा वोट करें। वे अपने वोट की जाँच सत्यापन हेतु बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन प्रति पी.डी.एफ. फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड करवाएं।
- ग) इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि को 11.09.2014 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी तथा 12.09.2014 को (सांय: 6.00 बजे) समाप्त होगी। इसके पश्चात् सीडीएसएल द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान कंपनी के भौतिक या अभौतिक रूप दोनों ही शेयरधारक, कट-ऑफ दिनांक 14.08.2014 के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट कर सकते हैं।
- घ) शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ दिनांक 14.08.2014 के अनुसार बैंक की पूँजी में उनके प्रदत्त इक्विटी शेयरों के आनुपातिक आधार पर होगा।
- ङ) सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, उस वोट को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- च) असाधारण सामान्य बैठक की तिथि पर संकल्प को पारित माना जाएगा, बशर्ते पर्याप्त वोट प्राप्त होंगे।
- छ) कोई भी सदस्य वोट डालने तक अथवा वोटिंग अवधि के अन्त तक जो भी पहले हो, पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है।
- ज) यदि किसी सदस्य के पास वोट देने का एक ही विकल्प है, या तो वह भौतिक रूप से मतदान करें या ई-वोटिंग करें यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग का विकल्प चुनता है, तो वह फिर भौतिक मतदान नहीं कर सकेगा। यद्यपि कोई सदस्य दोनों भौतिक रूप से तथा ई-वोटिंग द्वारा वोट करता है तो ऐसी स्थिति में ई-वोटिंग द्वारा दिया गया मत मान्य होगा और भौतिक मतदान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा या नजर अंदाज किया जायेगा।

श्री रमेश कुमार कोचर, पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी (सी पी नं. 10818) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोट की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि समाप्ति के चालू होने के पश्चात् तीन व्यावसायिक दिवसों के भीतर अध्यक्ष, असाधारण सामान्य बैठक को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर असाधारण सामान्य बैठक के संकल्प के दो व्यावसायिक कार्य दिवस के भीतर अपलोड कर दिया जाएगा। पर्याप्त वोट की प्राप्ति के अधीन, संकल्प को असाधारण सामान्य बैठक के दिन पारित किया जाएगा।

बैठक की सूचना वेबसाइट www.psbindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई.वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर ई.वोटिंग मेन्युअल उपलब्ध है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या CDSL टोल फ्री नं. 022-30249561 या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इन्स्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड नं. 011-41410592, 41410593 को फोन करें या delhi@linkintime.co.in को ई-मेल करें।

नोट : यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद है।



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008
असाधारण सामान्य बैठक : 19.09.2014

फार्म 'बी' प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

मैं/हम -----राज्य-----के जिला-----का/की/के निवासी
-----पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा -----राज्य
के -----जिला के निवासी श्री/श्रीमती -----को अथवा उनके उपस्थित न
हो सकने पर राज्य के जिला -----के निवासी श्री/श्रीमती -----को शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर,
2014 को प्रातः 10:00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की असाधारण आम बैठक में जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 - मैक्स मूलर मार्ग, लोदी
एस्टेट, नई दिल्ली-110003 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी / हमारी ओर से मेरे / हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी
नियुक्त करता हूँ / करते हैं ।

-----माह के -----दिन 2014 को हस्ताक्षरित

पंजीकृत फोलियो/क्लाइंट आई डी संख्या :

शेअरों की संख्या

कृपया रसीदी
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल शेयर धारक के हस्ताक्षर नाम व पता

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
 - वैयक्तिक शेयर धारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा ।
 - संयुक्त शेयर धारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयर धारक द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटर्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
- प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या आश्वासन उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
- प्रॉक्सी के साथ:
 - अटर्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटर्नी अधिकार की प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-11008 को असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 13 सितम्बर 2014 को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ।
- यदि संबंधित अटर्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटर्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए ।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "B" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा ।
- बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा ।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे असाधारण सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा जिससे वह प्रलेख संबंधित है ।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा।
- यदि शेयरधारक ने ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाला है, तो प्रॉक्सी धारक बैठक में भाग ले सकता है परन्तु वह पोल से वोट नहीं दे सकता।

नोट: बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

नोट : यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद है।



प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 57 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, an **Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PUNJAB & SIND BANK** will be held on **Friday, 19th day of September, 2014 at 10.00 a.m. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi - 110 003**, to transact the following business:

Item No. 1

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as Special Resolution(s):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the “**Act**”) read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the “**Scheme**”) and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the “**Regulations**”) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [**SEBI (ICDR) Regulations**] and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “**Board**”) which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to create, offer, issue and allot by way of conversion of Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs. 200 crore, Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) of Rs. 200 crore and Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of Rs. 160 crore held by the Govt. of India, aggregating to Rs. 560 crore (Rupees five hundred sixty crore only), into 9,46,90,563 Equity Shares to the President of India (Government of India) of the face value of Rs. 10/- each on preferential basis at a issue price of Rs. 59.14 per Equity Share (including premium of Rs. 49.14 per Equity Share) determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations”.

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the “**Act**”) read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the “**Scheme**”) and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the “**Regulations**”) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [**SEBI (ICDR) Regulations**] and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “**Board**”) which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to create, offer, issue and allot up to 6,76,36,116 equity shares of the face value of Rs. 10/- each, aggregating up to Rs. 400 crore (Rupees four hundred crore only), on preferential basis, to Financial Institution(s), Life Insurance Corporation of India (LIC), General Insurance Corporation of India (GIC) and subsidiary companies of GIC at a issue price of Rs. 59.14 per Equity Share (including premium of Rs. 49.14 per equity share) determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the **Relevant Date** for determination of the Issue Price is 20.08.2014.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification(s) in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of the Resolution(s) shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements, as required under Chapter VII of the “SEBI (ICDR) Regulations” and shall rank *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the Resolutions, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 20.08.2014

(Jatinderbir Singh)
Chairman & Managing Director

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote per equity share subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register of shareholders shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend instead of himself/herself, and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Regulations.

As per the Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Accounts Department (Share Cell), 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours i.e. 2.00 p.m. on Saturday, 13th September 2014.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at HO Accounts Department (Share Cell), 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours i.e. 2.00 p.m. on Saturday, 13th September 2014. No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Regulations.

5. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum- Entry Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be.

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voter ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc.

6. Shareholders whose names appear in the Register of Shareholders of the Bank on 14th August, 2014, (Thursday) being the “Cut-Off Date” fixed, shall be entitled to e-vote (procedure annexed) / attend and vote at the meeting. **Please note that shareholders who have casted vote through e-voting shall not be entitled to vote at the meeting but they can attend the meeting.**

Other Information:

- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the meeting hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 20.08.2014

(Jatinderbir Singh)
Chairman & Managing Director

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURES:

Disclosure as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations:

a) Objects of the Preferential Issue

Presently, 22,41,32,212 Equity Shares of the Bank of Face Value of 10/- each amounting to 81.42% of the total Equity Shares of the Bank are held by the Government of India. Detailed position of holding by different entities is as under :

as on 14.08.2014

Name of the Company/Institution	No. of Shares held	% of total paid up capital
Government of India	22,41,32,212	81.4185
Life Insurance Corporation of India	1,15,77,925	4.2058
General Insurance Corporation	25,000	0.0091
National Insurance Co.	47,750	0.0173
New India Assurance Co.	39,728	0.0144
United India Insurance Co.	63,665	0.0231
Oriental Insurance Co.	11,833	0.0043
All Others	3,93,86,099	14.3075
GRAND TOTAL	27,52,84,212	100.0000

In order to strengthen the capital base and to improve capital adequacy of the Bank, the Board of Directors of the Bank, vide Resolution No. 21196 dated 17.07.2014, has decided for :

- Conversion of Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs. 200 crore, Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) of Rs. 200 crore and Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of Rs. 160 crore held by the Govt. of India into equity through preferential issue of equity shares to GOI;
 - Preferential issue of equity shares amounting up to Rs. 400 crores to Financial Institution(s), Life Insurance Corporation of India [LIC], General Insurance Corporation of India [GIC] and subsidiary companies of GIC;
at a price to be decided in terms of SEBI (ICDR) Regulations, subject to approval from the Government of India, RBI and other regulatory compliances. The capital raised would be utilized to improve the capital adequacy and to fund general business needs of the Bank.
- b) The issue price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations. The 'Relevant Date' for ascertaining the issue price is 20.08.2014.
- c) The share holding pattern of the Bank, before and after Preferential issue of shares will be as under :

S.No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares	% age of Shares holding	No. of shares	% age of shareholding
A	Promoter's Holding (GOI)	22,41,32,212	81.4185	31,88,22,775	72.8553
B	Non-Promoter Holding-LIC	1,15,77,925	4.2058	4,20,14,177	9.6008
C	GIC and its subsidiaries	1,87,976	0.0683	3,73,87,840	8.5436
D	All Others	3,93,86,099	14.3074	3,93,86,099	9.0003
	Total	27,52,84,212	100.0000	43,76,10,891	100.0000

The post issue holding of the Government of India will stand at 72.8553 % and consequently, there will be no change in control.

- d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as per SEBI ICDR Regulations.
- e) The Equity Shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (e), (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.
- f) All the Equity Shares of the Bank are listed. All the equity shares to be issued and allotted to the Govt. of India, Financial Institutions, LIC of India, GIC and subsidiary companies of GIC shall be locked in as per SEBI (ICDR) Regulations.
- g) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations, will be tabled for inspection at the EGM.
- h) All Equity Shares held by Govt. of India, Financial Institutions, LIC of India, GIC and subsidiary companies of GIC are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.
- i) The issuance of Equity Shares in favour of Govt. of India, Financial Institutions, LIC of India, GIC and subsidiary companies of GIC shall be subject to SEBI ICDR Regulations/any other statutory approval, as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.
- j) None of the Directors or Key Management persons will subscribe to the Equity Shares.
- k) The Equity Shares to be issued as above shall rank pari-passu in all respects including dividend, if any, with the existing Equity Shares of the Bank.

Your Directors recommend the resolution(s) for your approval.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution (s) to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 20.08.2014

(Jatinderbir Singh)
Chairman & Managing Director

E-voting

e-Voting for the Extraordinary General Meeting of Punjab & Sind Bank

Pursuant to Clause 35B of the Listing Agreement and section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, new provision has been introduced whereby every listed company or a company having not less than one thousand shareholder is required to provide to its members facility to exercise their right to vote at general meetings by electronic means. The Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Extraordinary General Meeting, in terms of Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

(A) In case of members receiving e-mail:

- i) If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.
- ii) Log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii) Click on "Shareholders" tab to cast your votes.
- iv) Now, select the Electronic Voting Sequence Number - "EVSN" along with "Punjab and Sind Bank" from the drop down menu and click on "SUBMIT"
- v) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares in Demat Form	For Members holding shares in Physical Form
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID For CDSL: 16 digits beneficiary ID	Folio Number registered with the Company
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)	
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.	
Dividend Bank Details#	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	

* Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the default number: <ABCDE1234F> in the PAN field.

Please enter any one of the details in order to login.

- vi) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- vii) Members holding shares in physical form will then reach directly the EVSN selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # \$ % & *). Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.
- viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.
- ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- x) Click on the “Resolutions File Link” if you wish to view the entire Resolutions.
- xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xii) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(II) In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/ depository participant(s) or requesting physical copy]:

Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.

- (B) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to <https://www.evotingindia.co.in> and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.
- (C) The electronic voting period commences on 11th September, 2014 (9:00 am) and ends on 12th September, 2014 (6:00 pm). The electronic voting facility will be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period the shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 14th August, 2014 may cast their vote electronically.
- (D) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 14th August, 2014;
- (E) Once the vote on a resolution is casted by the member, he/she shall not be allowed to change or modify it subsequently;
- (F) Member can log in any number of times till he/she has voted or till the end of the voting period whichever is earlier.
- (G) Members can opt only one mode for voting i.e. either by e-voting or Physical Ballot. If member opts for e-voting, then he/she cannot vote by Physical Ballot also and vice versa. However, in case member(s) cast their vote both via e-voting and Physical Ballot, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored.**

Mr. Ramesh Kumar Kochar, Practicing Company Secretary (CPNo. 10818) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Extraordinary General Meeting within 3 business days from the date of conclusion of the electronic voting period;

The results declared along with the scrutinizer’s report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL within 2 business days of the decision on the resolution at the Extraordinary General Meeting;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution shall be deemed to be passed on the date of the Extraordinary General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call CDSL Toll free No. 022-30249561 or to the Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. at 011-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

HO : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008
{EXTRAORDINARY GENERAL MEETING}: 19.09.2014

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....resident
ofin the district of..... in the State of
..... being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind Bank, hereby appoint
Shri/Smt resident of.....in the district of
.....in the State ofor failing him/her,
Shri/Smt resident of in the district of
..... in the State of as my / our proxy to vote for me/us
and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on Friday **the 19th September, 2014** at 10.00 A.M. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi – 110 003 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2014

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares :

Please affix
Revenue
Stamp

.....
Signature of Proxy

.....
Signature of the sole / first named shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
3. The proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with Punjab & Sind Bank, **Head Office Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of **Saturday, the 13th day of September, 2014**.
4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.
10. In case any shareholder has casted vote by e-voting, then proxyholder can attend the meeting but cannot vote by poll.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक/PUNJAB & SIND BANK

(भारत सरकार का उपक्रम/A Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008
HO: 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

उपस्थिति पर्ची/ATTENDANCE SLIP

असाधारण सामान्य बैठक/EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 - मैक्स मूलर मार्ग, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली-110003
India International Centre, 40-Maxmueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi – 110 003
शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को प्रातः 10:00 बजे
FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2014, 10.00 a.m.

(कृपया उपस्थिति पर्ची को भरें तथा पंजीकरण पटल पर सौंप दें। /

Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter

पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी संख्या Regd. Folio/ DP & Client ID		
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder		
शेअरों की संख्या Number of Shares		
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative		



पंजाब एण्ड सिंध बैंक/PUNJAB & SIND BANK

(भारत सरकार का उपक्रम/A Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008
HO: 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

प्रवेश पास/ENTRY PASS

असाधारण सामान्य बैठक/ EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 - मैक्स मूलर मार्ग, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली-110003
India International Centre, 40-Maxmueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi – 110 003
शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को प्रातः 10:00 बजे
FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2014, 10.00 a.m.

पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी संख्या Regd. Folio/ DP & Client ID		
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder		
शेअरों की संख्या Number of Shares		
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative		

नोट : पोलिंग होने की स्थिति में, केवल प्रवेश पास धारकों को बैलट पेपर जारी किए जाएंगे।

Note : In case of polling, Ballot Paper will be issued against the entry pass only.